21/6/24

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर रजि० डिलेवरी रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० किया गया। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा रूबरू कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है।

~~वकील प्रार्थीगण का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर~~
~~मिशल प्रपत्र से लिया जाकर शा० प० किया गया।~~

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.08.02 11:18:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 132/24 प्रा०पत्र

– श्री लेहरू S/o नानु जाट निवासी- बावलास तहसील- माण्डल (भीलवाड़ा)

प्रार्थी

बनाम

श्री उदयलाल S/o श्री भैरू जाट निवासी- बावलास तहसील- माण्डल (भीलवाड़ा)
[प्रस्तावित प्राकृतिक सम्बन्ध]

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 21.6.24

::आदेशः::

र्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि म......बावलास......पटवार हल्का......बावलास......तहसील माण्डल मे उसके खाते /संयुक्त खाते की राजी न0 219, 220, 221, 245, 246 कुल किता......05......रकबा......4.2113......हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता ता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

स्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ......11.6.24......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की वलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का धिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए सर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेशः::

र्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......बावलास......पटवार ल्का......बावलास......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं......219, 220, 221, 245, 246 कुल किता......05......रकबा......4.2113......हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक लेसवा को......1800......रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.08.02 11:18:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजाकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा